न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2015 G.C.M.S. No. 2015/00490 दर्ज दिनांक : 30.11.2015

अपीलार्थीः

1. मृत बुदीया पुत्र सूरा, जाति कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली के विधिक वारिसानः—
   1/1 सायरीदेवी बेवा स्व. बुदिया
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. बुदिया
   1/3 भंवरीदेवी पुत्री स्व. बुदीया (पत्नि कन्हैयालाल) जाति कलाल मेवाडा, निवासी सोनाईमांजी, तहसील व जिला पाली।
   1/4 कंचनदेवी पुत्री स्व. बुदीया (पत्नि देवीलाल), जाति कलाल मेवाडा, निवासी 03, केशवनगर, नया बस स्टैण्ड पाली, तहसील व जिला पाली।
   1/5 पिनूदेवी पुत्री स्व. बुदीया (पत्नि मनोहरलाल), जाति कलाल मेवाडा, निवासी रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
   1/6 रेखादेवी पुत्री स्व. बुदीया (पत्नि देवीलाल), जाति कलाल मेवाडा, निवासी गोदावास, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मृत सुखाराम पुत्र सेरा, जाति कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली के कायम मुकामः—
   1/1 मृत सुन्दरदेवी बेवा सुखाराम, जाति कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली के कायम मुकामः—
   1/1/1 हीरालाल श्री सुखाराम
   1/1/2 मोहनलाल श्री सुखाराम, सभी जातिगण कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली बहैसियत स्वयं व बहैसियत कायममुकामात मृत सुन्दरदेवी बेवा सुखाराम, जाति कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/1/3 गुलाबदेवी पुत्री सुखाराम (पत्नि पुखजी), जाति कलाल मेवाडा, निवासी हिम्मतनगर पाली, तहसील व जिला पाली।
   1/1/4 बिदामीदेवी पुत्री सुखाराम, (पत्नि तुलसा), जाति कलाल मेवाड़ा, निवासी राईकों की ढ़ाणी पाली, तहसील व जिला पाली।
   1/1/5 शांति पुत्री सुखाराम, (पत्नि तेजाजी), जाति कलाल मेवाडा, निवासी गिरीखेड़ा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर के कायम मुकामः—
   1/1/5/1 संतोष पुत्र तेजराज, बालिग, जाति कलाल मेवाडा, निवासी 138 दुर्गा कॉलोनी, शिवमंदिर के पास, पाली।
   1/1/5/2 धर्माराम पुत्र तेजराज, बालिग, जाति कलाल मेवाडा, निवासी रिद्धि सिद्धि ज्वैलर्स वाली गली,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

शिवजी पार्षद के घर के सामने शेखावत नगर पुनायता रोड़, जिला पाली।

1/1/5/3 लीला पुत्री तेजराज, पत्नि तुलसीराम, उम्र बालिग, जाति कलाल मेवाडा, निवासी गाडोलिया लोहार बस्ती, वार्ड नंबर 8, शेखावत नगर पुनायता रोड़, जिला पाली।

1/1/5/4 रेखा पुत्री तेजराज, पत्नि राकेश, उम्र बालिग, जाति कलाल मेवाडा, निवासी कलालों का बास, जोगमाया मंदिर के पास, सिरियारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

1/1/6 सीता पुत्री सुखाराम, (पत्नि किशनजी), जाति कलाल मेवाड़ा, निवासी राईकों की ढ़ाणी पाली, तहसील व जिला पाली।

1/1/7 राधा पुत्री सुखाराम, (पत्नि महेन्द्र), जाति कलाल मेवाडा, निवासी मोकलसर वाया खण्डप, तहसील व जिला बाड़मेर।

2. मृत मोतीलाल पुत्र सूरा, जाति कलाल मेवाडा, निवासी खारड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली के कायम मुकाम:–
   2/1 मैनादेवी बेवा मोतीलाल, जाति कलाल
   2/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल, जाति कलाल
   2/3 कुमारी नीमू पुत्री मोतीलाल, जाति कलाल, निवासीगण 08 हिम्मतनगर, रेल्वे स्टेशन के पास पाली, तहसील व जिला पाली, प्रतिवादी संख्या 2/3 कुमारी नीमू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मैनादेवी बेवा मोतीलाल जाति कलाल।
   2/4 मंजूदेवी पुत्री मोतीलाल (पत्नि धनेशकुमार), जाति कलाल निवासी सिन्दरू हाल निवासी राईकों का बास, बाली तहसील बाली व जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।
4. उप–पंजीयक, रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 51/2012 बअनवान बुदिया बनाम मृत सुखाराम के का.मु. सुन्दरदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री नौरतन चौहान, श्री उमेश सांखला, श्री प्रेमसिंह ओड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री झुंझाराम परमार, श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विविध प्रकरण संख्या 51/2012 बअनवान बुदिया बनाम मृत सुखाराम के का.मु. सुन्दरदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थीगण के पति/पिता बुदीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत योग्य अधिन न्यायालय मे पेश किया, उसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम खारडा, तहसील–रोहट की सरहद में खसरा नम्बर 122 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम व खसरा नम्बर 246 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 35 बीघा स्थित है, के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट कैम्प भाकरीवाला मे योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 27–03–2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 03 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 04 व 09 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का विधि अनुसार निस्तारण किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थीगण के पति व पिता बुदिया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करने में योग्य अधिन न्यायालय में भारी विधिक भूल की हैं। वास्तव में पत्रावली में तो मृत बुदिया के कायममुकामात व रेस्पोंडेण्ट मृत सुन्दरदेवी के कायममुकामात को रेकर्ड पर लेने के प्रार्थना पत्र की सुनवाई होनी थीं, न की टी. आई. की बहस पर। परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने विधि के आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन कर गलत व झूठे तथ्य दर्ज कर व पत्रावली से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो एब इनिशियो वॉइड होने से काबिल खारिज है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बिना बहस सुने और बिना कोई कारण व आधार दर्ज किये तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर अपीलाधीन आदेश पारित कर खारिज किया गया है। अधिन न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि बाबत पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य व श्रीमति सुशीला पाठक पत्नि गंगाशंकर जी के शपथ पत्र तक का अध्ययन किये बिना तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 2/4 का खुलमखुला पक्ष करते हुये उनको फायदा पहुंचाने के लिये विधि विरूद्ध रूप से कोई कारण व आधार दर्ज किये बिना तथा विधि अनुसार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ को तय किये बिना गलत रूप से तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने में विधि व तथ्यों की भारी भूल की हैं। अधिन न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में दर्ज अनुसार अपीलार्थीगण के पति/पिता मृत बुदिया के कायममुकामात को रेकर्ड पर लाये बगैर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो केवलमात्र इसी कारण व आधार पर निरस्त करने योग्य है। कोर्ट कैम्प भाकरीवाला का अपीलार्थीगण के पति/पिता बुदिया के नाम जारी नोटिस अपीलार्थी ओमप्रकाश को मिला जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश दिनांक 10–07–2015 को कोर्ट कैम्प भाकरीवाला में उपस्थित आया। अपीलार्थी ओमप्रकाश ने जाहीर किया कि उसके पिता प्रार्थी बुदिया का स्वर्गवास 04 माह पूर्व हो गया। अपीलार्थी ओमप्रकाश ने जाहिर किया कि उसने व प्रार्थी बुदिया के अन्य विधिक वारीसान अपीलार्थीगण ने आदरणीय न्यायालय यानि योग्य अधिन न्यायालय में दिनांक 27–03–2015 को प्रार्थी मृत बुदिया के विधिक वारीसान के रूप में रेकर्ड पर दर्ज करने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 03 सपठीत धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया है। जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश को बताया गया कि कोर्ट कैम्प समाप्ति के पश्चात् इस प्रकरण की पेशी तारीख दी जावेगी जो आप या आपके अधिवक्ता को बता दी जावेगी। जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश वहां से वापस अपने घर आ गया। कोर्ट कैम्प समाप्ति के पश्चात् अधिवक्ता अपीलार्थी को दिनांक 28–08–2015 को मूलवाद संख्या 43/2012 वादीः–बुदिया बनाम प्रतिवादीगणः मृत सुखा के कायममुकाम सुन्दरदेवी वगैराह में आगामी पेशी तारीख 09–10–2015 दी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा रीडर साहब से उपरोक्त अनवान के मूलवाद साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी तारीख नियत करने हेतू निवेदन किया तो रीडर ने तपास कर बताया कि प्रार्थी बुदिया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कोर्ट कैम्प भाकरीवाला में दिनांक 10–07–2015 को निस्तारित कर खारिज कर दिया है। जिस पर उक्त बात अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण को बताई जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश दिनांक 02–09–2015 को योग्य अधिन न्यायालय में आया और अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से माध्यम से नकल आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु दिनांक 02–09–2015 को अधिवक्ता अपीलार्थीगण व अपीलार्थी ओमप्रकाश को बताया गया कि कोर्ट कैम्प में फैसल पत्रावलियां अस्त व्यस्त है, कुछ दिनों पश्चात नकल तैयार कर दे दी जावेगी। तत्पश्चात् दिनांक 07–10–2015 को अपीलाधीन आदेश की नकल अधिवक्ता अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 08–10–2015 से लेकर दिनांक 29–11–2015 तक अपीलार्थीगण आवश्यक दस्तावेजात एवं अपील हेतु रूपयों की व्यवस्था में लगे रहे तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण भी अपने व्यक्तिगत कार्यों व विवाह वगैरह में व्यस्त होने के कारण अपील अब जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की जा रही हैं। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है, अपीलार्थीगण ने जानबूझकर कोई देरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं की हैं। अगर अपील पेश करने में कोई देरी होना पायी जावे तो उसकी माफी हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ ही एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2015 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट के विधिक वारिसान द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि कोर्ट कैम्प भाकरीवाला का अपीलार्थीगण के पति/पिता बुदिया के नाम जारी नोटिस अपीलार्थी ओमप्रकाश को मिला जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश दिनांक 10–07–2015 को कोर्ट कैम्प भाकरीवाला में उपस्थित आया। अपीलार्थी ओमप्रकाश ने जाहीर किया कि उसके पिता प्रार्थी बुदिया का स्वर्गवास 04 माह पूर्व हो गया। अपीलार्थी ओमप्रकाश ने जाहिर किया कि उसने व प्रार्थी बुदिया के अन्य विधिक वारीसान अपीलार्थीगण ने आदरणीय न्यायालय यानि योग्य अधिन न्यायालय में दिनांक 27–03–2015 को प्रार्थी मृत बुदिया के विधिक वारीसान के रूप में रेकर्ड पर दर्ज करने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 03 सपठीत धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया है। जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश को बताया गया कि कोर्ट कैम्प समाप्ति के पश्चात् इस प्रकरण की पेशी तारीख दी जावेगी जो आप या आपके अधिवक्ता को बता दी जावेगी। जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश वहां से वापस अपने घर आ गया। कोर्ट कैम्प समाप्ति के पश्चात् अधिवक्ता अपीलार्थी को दिनांक 28–08–2015 को मूलवाद संख्या 43/2012 वादीः–बुदिया बनाम प्रतिवादीगणः मृत सुखा के कायममुकाम सुन्दरदेवी वगैराह में आगामी पेशी तारीख 09–10–2015 दी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा रीडर साहब से उपरोक्त अनवान के मूलवाद साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी तारीख नियत करने हेतू निवेदन किया तो रीडर ने तपास कर बताया कि प्रार्थी बुदिया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कोर्ट कैम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भाकरीवाला में दिनांक 10–07–2015 को निस्तारित कर खारिज कर दिया है। जिस पर उक्त बात अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण को बताई जिस पर अपीलार्थी ओमप्रकाश दिनांक 02–09–2015 को योग्य अधिन न्यायालय में आया और अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से माध्यम से नकल आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु दिनांक 02–09–2015 को अधिवक्ता अपीलार्थीगण व अपीलार्थी ओमप्रकाश को बताया गया कि कोर्ट कैम्प में फैसल पत्रावलियां अस्त व्यस्त है, कुछ दिनों पश्चात नकल तैयार कर दे दी जावेगी। तत्पश्चात् दिनांक 07–10–2015 को अपीलाधीन आदेश की नकल अधिवक्ता अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 08–10–2015 से लेकर दिनांक 29–11–2015 तक अपीलार्थीगण आवश्यक दस्तावेजात एवं अपील हेतु रूपयों की व्यवस्था में लगे रहे तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण भी अपने व्यक्तिगत कार्यों व विवाह वगैरह में व्यस्त होने के कारण अपील अब जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया जाना साबित नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की होने तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कॉ–पार्सनरी सहदायिक से 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 का 1/3 हिस्सा निहित होने का कथन किया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में यह भी उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति से खरीदशुदा भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है तथा दिनांक 16.06.1977 को सुशीलादेवी से जरिये पंजीकृत बेचाननामा खरीद की गई। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा केवल सुखाजी व मोतीजी का नाम दर्ज करवा दिया गया। उक्त बेचाननामा प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध अप्रभावी व शून्य होना अंकित करते हुए खातेदारी अधिकारों की मांग की गई। जोकि हमारे विनम्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मत में परस्पर विरोधाभासी तर्क है। जहां प्रार्थी एकतरफ वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तैनी आराजी होने के आधार पर अपना 1/3 हिस्सा होने का दावा करता है साथ ही यह भी दावा करता है कि उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति से क्रय की गई थीं तथा यह भी दावा करता है कि उक्त विक्रय–विलेख में अप्रार्थीगण द्वारा गलती से केवल सुखा व मोती का नाम दर्ज करवा दिया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 16.06.1977 के पंजीकृत विक्रय–विलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सुखाराम व मोतीलाल जोकि क्रमशः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी हैं, द्वारा विक्रेता सुशीलादेवी से क्रय की गई थीं। उक्त विक्रय–विलेख आरंभतः शून्य नहीं माना जा सकता तथा उक्त विक्रय–विलेख के आधार पर अप्रार्थीगण का नाम भू–अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। अतः प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है एवं यदि अप्रार्थीगण खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति संभव है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पाारित करने में कानूनन कोई त्रुटि पारित नहीं की हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 51/2012 बअनवान बुदिया बनाम मृत सुखाराम के का.मु. सुन्दरदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली